

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 11-08-2025

विषय सूची

- » भारत छोड़ो आंदोलन
- » काकोरी घटना की 100वीं वर्षगांठ
- » लद्धाख: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग
- » RBI के नए सह-ऋण नियम
- » रासायनिक रूप से दूषित स्थलों पर नए नियम
- » नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रिपोर्ट जारी

संक्षिप्त समाचार

- » कोडाली करुप्पुर सिल्क साड़ी
- » MERITE योजना
- » ई-गवर्नेंस के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार (NAeG) 2026 की योजना
- » निद्रा रोग
- » भारत की प्रथम अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक
- » कालेश्वरम परियोजना
- » विश्व शेर दिवस

भारत छोड़ो आंदोलन

समाचारों में

- भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बॉम्बे के गौवालिया टैंक मैदान में शुरू किया गया था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तीव्र चरण था।

पृष्ठभूमि और कारण

- वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ:** जापान की दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रगति और बर्मा के पतन (1942) ने युद्ध को भारत की सीमाओं तक पहुँचा दिया।
 - मित्र राष्ट्रों की कमजोरी ने भारतीय नेताओं के लिए अवसर और तात्कालिकता दोनों उत्पन्न की।
- क्रिप्स मिशन की विफलता (अप्रैल 1942):** ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा, जिन्होंने केवल डोमिनियन स्टेट्स का वादा किया, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।
 - कांग्रेस ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, विशेष रूप से भारत के विभाजन की अनुमति देने वाले प्रावधान को।
 - गांधीजी और अन्य नेताओं को यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार वास्तविक स्वशासन देने के पक्ष में नहीं है।
- जनता का आक्रोश और हताशा:** युद्धकालीन कठिनाइयाँ, महंगाई और वस्तुओं की कमी ने व्यापक असंतोष उत्पन्न किया।
 - जापानी हमलों के दौरान केवल गोरे लोगों की निकासी ने भय और क्रोध को उत्पन्न किया।
- ब्रिटिश कमजोरी की धारणा:** मित्र राष्ट्रों की सैन्य पराजय और ब्रिटिश हताहतों की अफवाहों ने ब्रिटिश अजेयता की धारणा को कमजोर किया।
 - कई लोगों का मानना था कि ब्रिटिश शासन का पतन निकट है, जिससे स्वतंत्रता की आशा बढ़ रही है।

भारत छोड़ो आंदोलन: माँगें

- ब्रिटिश सेनाओं की तत्काल भारत से वापसी।
- भारतीय जनता के प्रति जवाबदेह सरकार की स्थापना।
- ब्रिटिश सत्ता के साथ शांतिपूर्ण लेकिन पूर्ण असहयोग।

- सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों और रियासतों से राष्ट्रीय उद्देश्य में सहयोग की अपील।

परिणाम

- भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने हिंसक रूप से दबा दिया — लोगों पर गोली चलाई गई, लाठीचार्ज हुआ, गाँव जलाए गए और भारी जुर्माने लगाए गए।
- दिसंबर 1942 तक के पाँच महीनों में अनुमानतः 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया।
- फिर भी, यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक बिंदु सिद्ध हुआ, जिसने स्वतंत्रता की जन-इच्छा और ब्रिटिश शासन की वैधता को कमजोर होते दिखाया।
- यह भारतीय इतिहास का एक परिभाषित क्षण बना, जिसमें आम जनता और प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने स्वशासन और संप्रभुता के साझा लक्ष्य के लिए एकजुटता दिखाई।

क्या आप जानते हैं?

- 9 अगस्त 1942 तक सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनमें गांधीजी भी शामिल थे, जिन्हें पुणे के आगाखान पैलेस में कैद किया गया।
- नेतृत्व के अभाव के बावजूद, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त जन-विद्रोह में बदल गया।
- बॉम्बे, पुना, अहमदाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
- हड्डालें, प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा छोटे शहरों और गाँवों तक फैल गईं।
- रेलवे लाइनों को अवरुद्ध किया गया, सरकारी भवनों पर हमले हुए, छात्र और श्रमिक हड्डाल पर चले गए।
- कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिनमें टेलीग्राफ तार काटना और पुलों को नष्ट करना शामिल था।
- राम मनोहर लोहिया ने बाद में 9 अगस्त को “जन घटना” कहा, जो स्वतंत्रता की जन-इच्छा का प्रतीक था।
- “भारत छोड़ो” का नारा यूसुफ मेहरअली ने दिया था, जो एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन नेता थे। उन्होंने 1928 में “साइमन गो बैक” का नारा भी दिया था।

Source :IE

काकोरी घटना की 100वीं वर्षगांठ

संदर्भ

- काकोरी ट्रेन कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के वर्तमान काकोरी गाँव के पास की गई थी।

काकोरी कांड के बारे में

- पृष्ठभूमि:** HRA की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन्द्रनाथ सान्याल और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था।
 - क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ट्रेन से ले जाए जा रहे सरकारी धन को निशाना बनाने का निर्णय लिया।
- क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और सचिन्द्रनाथ सान्याल शामिल हैं।
- 1927 में ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद 'बिस्मिल', अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को इस घटना में शामिल होने के कारण फाँसी दे दी।

काकोरी घटना का महत्व

- क्रांतिकारी बलिदान का प्रतीक:** इन फाँसियों ने युवा भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया।
- धर्म से परे एकता:** बिस्मिल और अशफाकुल्ला की मित्रता स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई।
- रणनीतिक बदलाव:** काकोरी के बाद, क्रांतिकारी सशस्त्र डैकैतियों से हटकर अधिक लक्षित राजनीतिक कार्रवाइयों की ओर बढ़ गए (जैसे, असेंबली बम विस्फोट, 1929)।
- ब्रिटिश भय और निगरानी:** ब्रिटिश सरकार ने भूमिगत क्रांतिकारी नेटवर्कों से डरकर निगरानी और खुफिया गतिविधियाँ तीव्र कर दीं।

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (1928) के बारे में

- स्थापना:** फिरोज़ शाह कोटला, दिल्ली, 1928
- प्रमुख नेता:**
 - भगत सिंह
 - सुखदेव
 - शिव वर्मा
 - चंद्रशेखर आजाद
 - विजय कुमार सिन्हा
- मुख्य सिद्धांत:** भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना; राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को जोड़ना।

Source: AIR

लद्दाखः राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग


संदर्भ

- हाल ही में, विख्यात जलवायु कार्यकर्ता और रेमन मैसेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक रूप से, लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का भाग था।
- दशकों तक, लद्दाख के लोगों ने राजनीतिक रूप से उपेक्षित होने का अनुभव किया, क्योंकि श्रीनगर में लिए गए निर्णय प्रायः क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ कर देते थे।
- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पश्चात, लद्दाख को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत एक विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया।

- ▲ यह प्रत्यक्षतः उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा शासित है, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की सीमित शक्ति है, दिल्ली या पुडुचेरी के विपरीत।
- हालांकि, अनुच्छेद 35A के हटने से—जो लद्दाख की भूमि और रोजगार अधिकारों को कुछ संरक्षण देता था—कई लोग असुरक्षित महसूस करने लगे।



लद्दाख यूटी क्यों बना?

- **सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय पहचान:** बौद्ध-बहुल लेह और शिया-बहुल कारगिल, सुन्नी-बहुल कश्मीर घाटी से सांस्कृतिक रूप से अलग हैं।
- **सुरक्षा संबंधी विचार:** पाकिस्तान (PoK) और चीन (अक्साई चिन) दोनों से सीमा लगती है; सामरिक संवेदनशीलता के कारण अधिक सघन केंद्रीय नियंत्रण आवश्यक समझा गया।
- **विकासात्मक लक्ष्य:** यूटी का दर्जा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, अवसंरचना में तीव्रता और प्रत्यक्ष केंद्रीय वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए दिया गया।

राज्य गठन का संवैधानिक आधार

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - ▲ **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3:** संसद निम्न कार्य कर सकती है:
 - किसी राज्य या यूटी के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाना;

- दो या अधिक राज्यों या राज्यों/यूटी के हिस्सों का विलय करना;
- वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना।

- ▲ **मुख्य आवश्यकताएँ:** पुनर्गठन हेतु विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है;
 - यदि प्रस्ताव किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमाओं को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति को उस राज्य की विधानमंडल से उसकी राय माँगनी होती है;
 - विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है; संसद, चाहे जो भी राय हो, आगे बढ़ सकती है।

छठी अनुसूची का संरक्षण

- संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।
- यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और क्षेत्रीय परिषदों के गठन की अनुमति देती है, जिनके पास भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय रीति-रिवाजों पर विधायी, कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्तियाँ होती हैं।
- **सरकारी जनादेश और समितियाँ:** गृह मंत्रालय ने 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति (HPC) गठित की। समिति का जनादेश शामिल करता है:
 - ▲ लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की खोज;
 - ▲ लेह और कारगिल की LAHDCs को सशक्त बनाना;
 - ▲ भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
 - ▲ समावेशी विकास और फास्ट-ट्रैक भर्ती को सुगम बनाना।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)** ने अपनी 119वीं बैठक में सिफारिश की कि लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए।

- लद्धाख की 97% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है और इसके कृषक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता है।

संबंधित चिंताएँ और चुनौतियाँ

- राजनीतिक जनादेश:** विधानमंडल-विहीन यूटी में निर्वाचित प्रतिनिधित्व और स्थानीय कानून-निर्माण की शक्तियाँ नहीं होतीं।
 - निर्णय केंद्रीय रूप से नियुक्त प्रशासकों द्वारा लिए जाते हैं, जो प्रायः स्थानीय वास्तविकताओं के साथ सामंजस्यशील नहीं हैं।
- सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान:** विशिष्ट जातीय या जनजातीय जनसंख्या वाले यूटी संवैधानिक सुरक्षा और स्वशासन की मांग करते हैं।
- विकासात्मक समानता:** राज्य का दर्जा अधिक वित्तीय विकेंद्रीकरण और संस्थागत ढाँचे को बढ़ा सकता है।
- रोजगार और प्रतिनिधित्व:** स्थानीय लोग समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा आयोग और रोजगार में आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
- कानूनी और संवैधानिक अड़चनें:** छठी अनुसूची फिलहाल केवल कुछ पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है।
 - लद्धाख जैसे यूटी पर इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी।
- प्रशासनिक जटिलता:** लद्धाख में पहले से ही लेह और कारगिल में दो LAHDCs हैं। इन्हें छठी अनुसूची के प्रावधानों के साथ समन्वित करने के लिए सावधानीपूर्वक पुनर्संरचना करनी होगी, ताकि अधिकार-क्षेत्र का टकराव न हो।

लद्धाख के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उपाय

- सार्वजानिक रोजगारों में आरक्षण:** सरकारी सेवाओं में निवासी लद्धाखियों के लिए 85% आरक्षण;
 - इसमें से 80% एसटी के लिए आरक्षित;
 - अतिरिक्त कोटा: LAC और LoC के किनारे रहने वालों के लिए 4%;

- एससी के लिए 1%; और EWS के लिए 10%;
- कुल आरक्षण 95% तक पहुँचता है, जो भारत में सबसे अधिक में से है।
- डोमिसाइल मानदंड:** 31 अक्टूबर 2019 (जिस दिन लद्धाख यूटी बना) से लगातार 15 वर्ष लद्धाख में निवास का प्रमाण आवश्यक।
 - केंद्र सरकार के कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और पीएसयू कर्मियों के बच्चों को विशेष शर्तों के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।
- महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** लद्धाख की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) में एक-तिहाई सीटें रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित।
- राजकीय भाषाएँ:** अब लद्धाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू भोटी और पर्गी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं।
 - यह भाषाई विविधता और सांस्कृतिक संरक्षण की पुष्टि करता है।
- विनियामक संशोधन:**
 - लद्धाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025;
 - लद्धाख सिविल सेवाएँ विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन, 2025;
 - लद्धाख राजकीय भाषाएँ विनियमन, 2025;
 - लद्धाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें (संशोधन) विनियमन, 2025।
- ये प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में समान संरक्षणों के समान हैं, जहाँ जनजातीय आबादी को सार्वजनिक रोजगार में 80% से अधिक आरक्षण का लाभ मिलता है।

आगे की राह

- यद्यपि संविधान कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, यूटी से राज्य का दर्जा हासिल करना अंततः एक राजनीतिक निर्णय है। इसके लिए आवश्यक है:
 - राष्ट्रपति की सिफारिश;
 - पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से संसदीय अनुमोदन;
 - राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ रणनीतिक तालमेल।

Source: TH

RBI के नए सह-ऋण नियम

संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच सह-ऋण व्यवस्था को सख्त करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।

सह-ऋण क्या है?

- यह एक सहयोगी ऋण सेवा है जिसमें दो ऋणदाता संस्थाएं मिलकर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करती हैं।
- यह साझेदारी दोनों संस्थाओं को अपने संसाधनों को अधिक कुशलता से वितरित करने की अनुमति देती है, जिससे ग्राहकों को दोनों ऋणदाताओं की संयुक्त विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता का लाभ मिलता है।
- RBI ने 2018 में सह-उद्धम ढांचे की शुरुआत की थी, जिससे बैंकों और NBFCs को संयुक्त रूप से ऋण देने की अनुमति मिली।
- इस ढांचे को 2020 में अपडेट किया गया और इसे सह-ऋण मॉडल (CLM) नाम दिया गया।

सह-ऋण दिशानिर्देश की मुख्य बातें

- अनिवार्य ऋण प्रतिधारण:** सह-ऋण में शामिल सभी विनियमित संस्थाओं (REs) को प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 10% अपने बैलेंस शीट पर बनाए रखना होगा।
- डिफॉल्ट लॉस गारंटी सीमा:** ऋण उत्पन्न करने वाली संस्था अधिकतम 5% बकाया ऋण राशि तक की डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रदान कर सकती है।
- समान संपत्ति वर्गीकरण:** यदि एक ऋणदाता किसी उधारकर्ता को विशेष उल्लेख खाता (SMA) या गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत करता है, तो सह-ऋण भागीदार को भी अपने हिस्से के जोखिम के लिए वही स्थिति अपनानी होगी।
- क्रेडिट सूचना साझाकरण:** दोनों संस्थाओं को प्रासंगिक क्रेडिट जानकारी लगभग वास्तविक समय में साझा करनी होगी, और किसी भी स्थिति में अगले कार्य दिवस के अंत तक।

- आंतरिक नीति आवश्यकताएं:** REs को अपनी क्रेडिट नीतियों को अपडेट करना होगा और समर्पित आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करने होंगे, जिनमें शामिल हैं: लक्षित उधारकर्ता वर्ग, आंतरिक पोर्टफोलियो सीमाएं, शुल्क संरचनाएं, भागीदार की जांच प्रक्रिया, ग्राहक सेवा प्रोटोकॉल, शिकायत निवारण तंत्र।

सह-ऋण दिशानिर्देश का महत्व

- पारदर्शिता में सुधार:** स्पष्ट उधारकर्ता-स्तरीय प्रकटीकरण और समान NPA वर्गीकरण से भ्रम और गलत रिपोर्टिंग में कमी आती है।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) को सुदृढ़ करना:** यह बैंकों को NBFCs और फिनटेक्स के साथ साझेदारी करके PSL लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, जिनकी ग्रामीण और MSME क्षेत्रों में गहरी पहुंच होती है।
- नियामक अनुशासन:** लगभग वास्तविक समय में क्रेडिट जानकारी साझा करने से तनाव का शीघ्र पता चलता है और सह-ऋण पोर्टफोलियो में ऋणों के “एवरग्रीनिंग” को रोका जा सकता है।

कार्यान्वयन की चुनौतियां

- प्रौद्योगिकी एकीकरण:** कई ऋणदाताओं की प्रणालियों को जोड़ना महंगा और जटिल होगा ताकि लगभग वास्तविक समय में क्रेडिट जानकारी साझा की जा सके।
- पूँजी सीमाएं:** प्रतिधारण आवश्यकताएं कुछ क्षेत्रों में ऋण देने की इच्छा को कम कर सकती हैं, जिससे छोटे टिकट वाले ऋण प्रभावित हो सकते हैं।
- संचालन समन्वय:** विभिन्न संस्थानों में समान संपत्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया संरेखण और सुदृढ़ शासन ढांचे की आवश्यकता होगी।
- संक्रमण अवधि के जोखिम:** वर्तमान समझौतों को फिर से बातचीत करनी होगी; और नए मानदंडों की ओर संक्रमण के दौरान भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- क्रमिक कार्यान्वयन:** छोटे खिलाड़ियों के लिए पूँजी प्रतिधारण में चरणबद्ध वृद्धि पर विचार करें ताकि अचानक तरलता संकट से बचा जा सके।

- नियमित ऑडिट: सह-क्रण व्यवस्थाओं का तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाए ताकि संपत्ति वर्गीकरण, DLG सीमा और प्रतिधारण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- हितधारक मंच: संक्रमण अवधि के दौरान कार्यान्वयन मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए एक उद्योग-RBI कार्य समूह बनाया जाए।

Source: BS

रासायनिक रूप से प्रदूषित स्थलों पर नए नियम

संदर्भ

- पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषित स्थलों के प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं, जो रासायनिक प्रदूषण से निपटने की प्रक्रिया को विधिक ढंचा प्रदान करते हैं।

प्रदूषित स्थल क्या हैं?

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, प्रदूषित स्थल वे हैं जहां ऐतिहासिक रूप से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का निपटान किया गया, जिससे मृदा, भूजल और सतही जल प्रदूषित हो गया।
- इन स्थलों में लैंडफिल, डंप, अपशिष्ट भंडारण एवं उपचार सुविधाएं, रिसाव स्थल और रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत में ऐसे 103 स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें से केवल 7 स्थलों पर ही मृदा, जल और तलछट की सफाई के लिए तकनीकों का उपयोग करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

नियमों की आवश्यकता

- पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया था ताकि प्रदूषित स्थलों के सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जा सके। इसके तीन उद्देश्य थे:
 - संभावित प्रदूषित स्थलों की सूची बनाना;
 - मूल्यांकन और सुधार के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार करना;

- सुधार के लिए कानूनी, संरक्षित और वित्तीय ढंचा विकसित करना।
- पहले दो चरण लागू हो चुके हैं, लेकिन कानूनी ढंचे का निर्माण अब तक अधूरा था।

नियम क्या हैं?

- प्रारंभिक मूल्यांकन: जिला प्रशासन “संभावित प्रदूषित स्थलों” पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) या कोई “संदर्भ संगठन” इन स्थलों की जांच करेगा और सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर “प्रारंभिक मूल्यांकन” प्रस्तुत करेगा।
 - इसके पश्चात तीन माह के अंदर विस्तृत सर्वेक्षण कर यह तय किया जाएगा कि स्थल वास्तव में प्रदूषित हैं या नहीं।
 - इसमें संदिग्ध खतरनाक रसायनों के स्तर की पुष्टि शामिल होगी। वर्तमान में 189 रसायनों को खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पर आवाजाही) नियम, 2016 के अंतर्गत चिन्हित किया गया है।
- सार्वजनिक सूचना: यदि स्थल सुरक्षित स्तर से अधिक प्रदूषित पाए जाते हैं, तो उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और वहां पहुंच पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- सुधारात्मक कार्रवाई: संदर्भ संगठन सुधार योजना तैयार करेगा।
 - राज्य बोर्ड को भी 90 दिनों के अंदर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करनी होगी।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: उत्तरदायी व्यक्ति को सुधार की लागत वहन करनी होगी, अन्यथा केंद्र और राज्य सरकारें सफाई की लागत का प्रबंध करेंगी।
- यदि यह सिद्ध हो जाए कि प्रदूषण से जीवन की हानि या क्षति हुई है, तो आपराधिक दायित्व भारतीय न्याय संहिता (2023) के प्रावधानों के अंतर्गत तय होगा।

नियमों से छूट

- परमाणु अपशिष्ट, जैसा कि परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 में परिभाषित है।

- खनन कार्य, जैसा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में परिभाषित है।
- तेल या तैलीय पदार्थों से समुद्री प्रदूषण, जैसा कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 और मर्चेंट शिपिंग (समुद्र में तेल से प्रदूषण की रोकथाम) नियम, 1974 में विनियमित है।
- डंप स्थलों से ठोस अपशिष्ट, जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में परिभाषित है।

नियमों की सीमाएं

- किसी स्थल के प्रदूषित होने की पुष्टि के बाद सुधार कार्य पूरा करने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं है।
- कई प्रमुख प्रदूषण स्रोत इन नियमों के दायरे से बाहर हैं।
- कार्यान्वयन क्षमता, विशेष रूप से तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधन, कई राज्यों के लिए चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- समर्पित सुधार निधि:** पर्यावरण उपकर और डंड के माध्यम से वित्तपोषित एक राष्ट्रीय प्रदूषित स्थल सुधार निधि की स्थापना की जाए।
- जन भागीदारी:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को निगरानी और रिपोर्टिंग में शामिल किया जाए।
- भूमि उपयोग योजना:** सुधार के पश्चात भूमि का सुरक्षित पुनः उपयोग प्रोत्साहित किया जाए, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के लिए।

Source: TH

नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रिपोर्ट जारी

संदर्भ

- नीति आयोग ने 'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए \$200 बिलियन अवसर को अनलॉक करना' शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है।
 - यह रिपोर्ट वर्तमान चुनौतियों की एक समयानुकूल और व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है, साथ ही भारत

में ईवी संक्रमण को तीव्र करने के लिए व्यावहारिक सिफारिशें भी देती है।

प्रमुख विशेषताएं

- भारत के ईवी अभियान के मुख्य उद्देश्य:**
 - आयातित ईधन पर निर्भरता को कम करना;
 - ईवी बैटरियों की भंडारण क्षमता का लाभ उठाकर नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना;
 - ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी;
 - वायु गुणवत्ता में सुधार;
 - बिजली उत्पादन संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर (PLF) में सुधार;
 - तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजार में नेतृत्व प्राप्त करना।
- लक्ष्य:** भारत का उद्देश्य 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्राप्त करना है।
- ईवी अपनाने की स्थिति:** भारत में ईवी की बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो गई है, जबकि वैश्विक ईवी बिक्री 2016 में 918,000 से बढ़कर 2024 में 18.78 मिलियन हो गई है।
 - भारत में ईवी अपनाने की गति बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे अग्रणी देशों की तुलना में धीमी रही है।
- भारत की प्रगति:** 2024 में भारत में कुल वाहन बिक्री में केवल 7.6% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की रही, जो 2030 के 30% लक्ष्य से काफी पीछे है।
 - इस प्रकार, भारत को 7.6% की पहुंच प्राप्त करने में लगभग 10 वर्ष लगे हैं और अब आगामी 5 वर्षों में इस हिस्सेदारी को 22% से अधिक बढ़ाना होगा।

चुनौतियाँ

- विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए वाहन वित्तपोषण की चुनौती।
- एक ओर चार्जिंग सुविधाओं की कमी और दूसरी ओर वर्तमान सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं का कम उपयोग।
- सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच ईवी प्रदर्शन के बारे में पर्याप्त जागरूकता की कमी।

- अपर्याप्त डेटा और नियामक खामियां, जो साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में बाधा डालती हैं।

भारत में ईवी अपनाने को तेज़ करने की रणनीति

- प्रोत्साहनों से अनिवार्यता की ओर: शून्य उत्सर्जन वाहन (ZEV) अपनाने के लिए स्पष्ट नीति और लक्ष्य समयसीमा की घोषणा करें।
 - ईवी के उत्पादन और खरीद को अनिवार्य करने के लिए क्रमिक रूप से अधिक कठोर योजना तैयार करें और आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के उपयोग/उत्पादन को हतोत्साहित करें।
- वितरण के बजाय संतृप्ति: 5 वर्षों में 5 शहरों के लिए एक संतृप्ति कार्यक्रम तैयार करें और शुरू करें।
 - राज्यों में इस कार्यक्रम को प्रबंधित करने के लिए संस्थाएं बनाएं।
 - इसे 20 शहरों तक और फिर 100 शहरों तक विस्तार दें।
- ई-बसे और ई-ट्रकों के लिए वित्तपोषण सक्षम करें: सार्वजनिक बजट और बहुपक्षीय योगदान से एक संयुक्त निधि बनाएं।
 - निधियों को प्रवाहित करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करें और शुरू करें।
- नई बैटरी तकनीकों के लिए अनुसंधान का विस्तार करें: नई बैटरी रसायनों पर अनुसंधान को तीव्र करने के लिए अकादमिक-उद्योग-सरकार साझेदारी स्थापित करें।
- चार्जिंग अवसंरचना का रणनीतिक विस्तार: ई-बस एवं ई-ट्रक संचालन के लिए 20 उच्च घनत्व गलियारों की पहचान करें और इन गलियारों पर वर्तमान वोल्टेज पैटर्न के आधार पर चार्जिंग हब के रणनीतिक स्थानों की पहचान के लिए एक अध्ययन शुरू करें।
 - प्रत्येक राज्य में नोडल एजेंसियां स्थापित करें ताकि अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को सक्षम और सुगम बनाया जा सके।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

कोडाली करुप्पुर सिल्क साड़ी

संदर्भ

- कोडाली करुप्पुर रेशमी साड़ी, जो कभी तंजावुर के मराठा राजाओं द्वारा पसंद की जाने वाली एक शानदार पोशाक थी, अब अपने पारंपरिक हथकरघा बुनकरों के कारण तेज़ी से कम होती जा रही है।

परिचय

- इसका नाम तमिलनाडु के तंजावुर (तंजौर) क्षेत्र में कुंभकोणम के पास एक गाँव करुप्पुर से लिया गया है।
- ये करुप्पुर की हाथ से बुनी हुई रेशमी साड़ियाँ, धोती और साज-सज्जा हैं जिनमें हाथ से पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग एवं ब्रोकेड बुनाई का मिश्रण होता है।
- ये 19वीं शताब्दी तक लोकप्रिय थीं।
 - बड़ौदा, कोल्हापुर और सतारा जैसे कुछ मराठा राज्यों में, करुप्पुर साड़ी दुल्हन के साज-सामान का एक अनिवार्य भाग थी, जैसा कि दूल्हे के लिए करुप्पुर पगड़ी थी।
- कोडाली करुप्पुर साड़ी को वर्तमान में GI (भौगोलिक संकेत) टैग नहीं मिला है।



Source: TH

MERITE योजना

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर के तकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना को मंजूरी दे दी है।

MERITE योजना

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 2025-30 के लिए ₹4,200 करोड़ का बजट है, जिसमें ₹2,100 करोड़ का विश्व बैंक ऋण भी शामिल है।
- यह गुणवत्ता, समानता एवं शासन को बढ़ाने के लिए NEP-2020 के अनुरूप है और इसका प्रबंधन एक केंद्रीय नोडल एर्जेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
- यह अद्यतन पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, संकाय प्रशिक्षण, अनुसंधान केंद्रों एवं नवाचार केंद्रों के माध्यम से छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग स्नातकों के बीच प्लेसमेंट बढ़ाना और बेरोजगारी कम करना है।
- यह एनआईटी, राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और तकनीकी विश्वविद्यालयों सहित 275 सरकारी तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों को सहायता प्रदान करेगा।
- आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और नियामक निकाय इसके कार्यान्वयन में सहायता करेंगे।

Source: TH

ई-गवर्नेंस के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार (NAeG) 2026 की योजना

संदर्भ

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2026 के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परिचय

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं ताकि ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जा सके।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन निम्नलिखित 7 श्रेणियों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रण,
- नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य नवीन तकनीकों के उपयोग द्वारा नवाचार,
- साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम ई-गवर्नेंस प्रथाएं/नवाचार,
- जिला स्तर की ई-गवर्नेंस पहलें,
- सेवा वितरण को गहराई और विस्तार देने के लिए ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा जमीनी स्तर की पहलें,
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और मिशन-मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की पुनरावृत्ति एवं विस्तार,
- केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से डिजिटल परिवर्तन।

पुरस्कार विवरण

- NAeG पुरस्कार 2026 में शामिल होंगे:
 - एक ट्रॉफी,
 - एक प्रमाण पत्र,
 - प्रत्येक स्वर्ण पुरस्कार विजेता को ₹10 लाख की प्रोत्साहन राशि,
 - प्रत्येक रजत पुरस्कार विजेता को ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि।
- कुल 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं।
- यह प्रोत्साहन राशि संबंधित जिला/संगठन को परियोजना या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उपयोग के लिए या किसी भी सार्वजनिक कल्याण क्षेत्र में संसाधन अंतर को समाप्त करने हेतु प्रदान की जाएगी।

Source: PIB

निद्रा रोग

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की है कि केन्या ने निद्रा रोग (स्लीपिंग सिक्नेस) को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है।

निद्रा रोग के बारे में

- यह एक वेक्टर जनित रोग है, जिसे मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस (HAT) भी कहा जाता है, और यह उप-सहारा अफ्रीका में स्थानिक है।
- यह ट्रिपैनोसोमा वंश के प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो त्सेत्से मक्खियों (ग्लोसिना) के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जो संक्रमित मनुष्यों या जानवरों से परजीवी प्राप्त करती हैं।
- कृषि, मछली पकड़ने, पशुपालन या शिकार पर निर्भर ग्रामीण जनसंख्या को इसके संक्रमण का सबसे अधिक खतरा माना जाता है।
- लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और, उन्नत चरणों में, भ्रम, नींद के पैटर्न में व्यवधान और व्यवहार में परिवर्तन जैसे तंत्रिका संबंधी लक्षण शामिल हैं।
- उपचार के बिना, यह आमतौर पर घातक होता है। सामान्य उपचारों में पेंटामिडाइन और निफर्टिमॉक्स शामिल हैं।

Source: AIR

भारत की प्रथम अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक

स्टेम सेल्स

- स्टेम सेल्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती हैं और मरम्मत व पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्टेम सेल्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं:
 - भ्रूणीय स्टेम सेल्स:** ये प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण से प्राप्त होते हैं और प्लुरिपोटेंट होते हैं, अर्थात् इनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तन की अद्भुत क्षमता होती है।
 - वयस्क स्टेम सेल्स:** ये शरीर की विभिन्न ऊतकों जैसे अस्थि मज्जा या त्वचा में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः मल्टीपोटेंट होते हैं, अर्थात् ये केवल अपनी मूल ऊतक से संबंधित सीमित प्रकार की कोशिकाओं में ही विकसित हो सकते हैं।

समाचार में

- भारत की प्रथम अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB) में हुआ।

भारत की प्रथम पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला

- यह अत्याधुनिक सुविधा 9,300 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है और ₹1.85 करोड़ की लागत से निर्मित की गई है।
- यह पशुओं के लिए पुनर्जनन चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगी।
- इसमें स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायोस्टोरेज, ऑटोक्लेव रूम्स, उन्नत एयर हेंडलिंग सिस्टम और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है।
- यह DBT-BIRAC के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) द्वारा समर्थित है।

प्रासंगिकता

- यह प्रधानमंत्री मोदी की BioE3 नीति के अनुरूप है, जो भारत को जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
- यह रोग मॉडलिंग, ऊतक इंजीनियरिंग और प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा।
- इसे पशु स्टेम सेल्स और उनके व्युत्पन्नों के बायोबैंकिंग को सक्षम बनाने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) – Innovate in India (I3)** एक उद्योग-अकादमिक सहयोग मिशन है, जिसका उद्देश्य जैव-औषधियों के विकास के लिए खोज अनुसंधान को तीव्र करना है।
- BIRAC का उद्देश्य भारत की जैव-औषधि, टीके, बायोसिमिलर, चिकित्सा उपकरण तथा डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में तकनीकी एवं उत्पाद विकास क्षमताओं को तैयार करने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और पोषित करना है।

- इस परियोजना को कुल US\$ 250 मिलियन की लागत से स्वीकृत किया गया है, जिसमें 50% सह-वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया है।

Source :PIB

कालेश्वरम परियोजना

संदर्भ

- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) को जिस प्रकार से परिकल्पित और क्रियान्वित किया गया है, वह विवादास्पद है।

परिचय

- अवस्थिति:** कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है।
 - यह परियोजना प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम स्थल से शुरू होती है।
- बुनियादी ढांचा:** यह 1,800 किलोमीटर से अधिक की नहर नेटवर्क का उपयोग करती है और यह विश्व की सबसे बड़ी बहु-स्तरीय सिंचाई परियोजना मानी जाती है।
 - गोदावरी नदी पर रामडुग, मेडिगड्डा, सुंदिल्ला और अन्नाराम में बैराजों का निर्माण किया गया है।
 - इस परियोजना का उद्देश्य कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराना और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है।

लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

- लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में जल को गुरुत्वाकर्षण द्वारा नहीं पहुँचाया जाता है।
- इसके बजाय, जल को पंपों या सर्ज पूलों की सहायता से परियोजना के उच्चतम बिंदु पर स्थित मुख्य वितरण

कक्ष तक उठाया जाता है, जहाँ से इसे खेतों तक सिंचाई के लिए वितरित किया जाता है।

Source: TH

विश्व शेर दिवस

संदर्भ

- विश्व शेर दिवस (10 अगस्त) पर गुजरात ने 2025 की शेर गणना के अनुसार रिकॉर्ड 891 एशियाई शेरों की उपस्थिति का उत्सव मनाया, जिनमें से आधे से अधिक गिर के बाहर रहते हैं।

एशियाई शेर (*Panthera leo persica*)

- यह भारत में पाए जाने वाले पाँच बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है।
- शारीरिक विशेषताएं:** एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।
 - नर शेरों की अयाल (mane) कम विकसित होती है, जिससे उनके कान दिखाई देते हैं।
 - पेट के साथ त्वचा की प्रमुख अनुदैर्घ्य तह (अफ्रीकी शेरों की एक विशिष्ट विशेषता)।
- वितरण:** भारत में ये गुजरात राज्य में गिर वन और उसके आसपास केंद्रित हैं, मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में:
 - गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य
 - पनिया वन्यजीव अभयारण्य
 - मितियाला वन्यजीव अभयारण्य
 - बारदा वन्यजीव अभयारण्य
- संरक्षण स्थिति:**
 - IUCN रेड लिस्ट स्थिति: संकटग्रस्त (Endangered)
 - CITES: परिशिष्ट I
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

Source: AIR